कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल,औरंगाबाद

पत्रांक 1027

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,औरंगाबाद।

सेवा में,

सभी सम्वेदकगण
ग्रामीण कार्य विभाग.
कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद।

औरंगाबाद,दिनांकः– 30/05/21

विषयः– शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/नावार्ड/3054 सड़क संधारण,ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये पथों में एकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार पथों के 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा विभिन्न योजनाओं का कार्य सम्पन्न कराया गया है। एकरारनामा के अनुसार मूल कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमित अनुरक्षण एवं रख रखाव का कार्य करना अपेक्षित है।

आपको निदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा निर्माण कराये गये पथों को 03 (तीन) दिनो यानि दिनांक 03.06.2021 तक नियमित अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये। इस कार्य को युद्ध स्तर पर करना अतिआश्यक है। अन्यथा आपके द्वारा अनुरक्षण नहीं किये जानें की स्थिति में एकरारनामा की शर्तो का उलंघन मानते हुए आपके एकराराानामा को विखंडित करते हुए जमानत की राशि एवं अन्य कटौती की राशि को जब्त करते हुए आपको काली सूची में नाम दर्ज करने की उच्चाधिकारीयों को अनुशंशा कर दी जायेगी एवं कार्य को विभागीय रूप से कराया जायेगा, जिसकी वसूली प्रमण्डल में आपके चल रहे अन्य कार्यो की विपत्र से वसूली की जायेगी। यदि उससे राशि समायोजित नहीं होती है तो शेष राशि के लिए आप पर प्रमाण पत्र मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

कृपया इसे कठोरता से अनुपालन किया जाये।

विश्वासभाजन

30/5/21

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,औरंगाबाद।

ज्ञापांकः– 1227 औरंगाबाद, दिनांकः– 30/05/21

प्रतिलिपिः–सभी सहायक अभियंता, सभी कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर पूर्ण किये गये सभी पथों का संबंधित सम्वेदक द्वारा एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप रुटीन अनुरक्षण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये।

30/5/21

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,औरंगाबाद।

"D:\office file\winword file\All Format Hindi 3.docx"

Scanned with CamScanner